राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 27, 2016

सं. एफ. 12(18)एफडी/टैक्स/2013–176 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(18)एफडी/टैक्स/2013–176 दिनांक 12.02.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"सं. एफ.12(18)एफ.डी./टैक्स/2013–176 जयपुर, दिनांक: 12 फरवरी, 2016.

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 08/2016 दिनांक 10.01.2016 के अनुपालन में और इस आदेश में यथा प्रगणित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार, राज्य में सीमेन्ट के विनिर्माता मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उद्यम" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के लिए निम्नलिखित कस्टमाइज्ड पैकेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पैकेज" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का इसके द्वारा, आदेश करती है.–

1. **पैकेज के लिए पात्रता.**– उद्यम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पैकेज के अधीन उपलब्ध फायदा प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :–
   (i) उद्यम रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन यथा उपबंधित नये उद्यम के लिए पात्रता की शर्तों को सम्मिलित करते हुए समस्त शर्तों को पूरा करेगा।
   (ii) उद्यम राज्य में सीमेन्ट के विनिर्माण के लिए रास, जिला पाली में एक नई इकाई की स्थापना करेगा, और
      (क) 746.00 करोड रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा; और
      (ख) न्यूनतम तीन सौ व्यक्तियों को सीधे नियोजन उपलब्ध करायेगा।
   (iii) उद्यम रा.वि.प्रो.स्की.–2010 की प्रवर्तन कालावधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(iv) उद्यम राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन किसी सहायकी के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पण : अभिव्यक्ति 'विनिधान' और 'नियोजन' का वही अर्थ होगा जो रा.वि.प्रो. स्की.–2010 में परिभाषित है।

2. **सहायकी.–**

क. सहायकी में विनिधान सहायकी और नियोजन जनन सहायकी सम्मिलित होंगी और उद्यम को इस पैकेज से संलग्न प्ररूप–ख में हकदारी प्रमाणपत्र के जारी होने पर सात वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञात की जायेगी।

ख. सहायकी की अधिकतम रकम कर(करों) जैसे कि मू.प.क. और के.वि.क. या एस.जी.एस.टी. (जब कभी लागू हो), जो राज्य के भीतर उद्यम द्वारा विनिर्मित सीमेन्ट के,–

(i) राज्य के भीतर विक्रयों के कारण (मूपक) और,

(ii) अन्तराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों के कारण (के.वि.क.);

शोध्य हो गये हैं और सरकारी खजाने में निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की कुल रकम का 55% होगी।

तथापि, राजस्थान राज्य के बाहर किये गये विक्रयों पर कोई सहायकी किसी भी रीति में अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

ग. सहायकी रकम का खण्डन नीचे दी गयी सारणी–1 में वर्णितानुसार होगाः–

सारणी–1

क्र. सं.	सहायकी का प्रकार	सहायकी की रकम
1.	विनिधान सहायकी	कर (करों) का 50% जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं।
2.	नियोजन जनन सहायकी	कर (करों) का 5% जो शोध्य हो गये हैं और नीचे उप–खण्ड ङ के अध्यधीन उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं।

घ. विनिधान सहायकी इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए उद्यम द्वारा निक्षिप्त कराये गये कर के आधार पर उद्यम को अनुज्ञात की जायेगी कि सहायकी

(विनिधान सहायकी + नियोजन जनन सहायकी) की कुल रकम ऐसे कर (करों), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की रकम के 55% से अधिक नहीं होगी।

ङ. नियोजन जनन सहायकी की अधिकतम सीमा वह होगी जो नीचे दी गयी सारणी 2 के स्तंभ संख्यांक 3 में वर्णित है और स्तंभ संख्यांक 1 में यथा वर्णित कर्मचारी के प्रवर्ग के अनुसार, स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित दर पर पात्र उद्यम को अनुज्ञात की जायेगी :

सारणी – 2

कर्मचारी का प्रवर्ग	नियोजन जनन सहायकी की रकम	नियोजन जनन सहायकी की अधिकतम सीमा और अन्य शर्तें
1	2	3
सामान्य	संपूरित सेवा के प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 15,000/–रु.।	नियोजन जनन सहायकी की कुल रकम कर (करों), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की रकम के 5% से अधिक नहीं होगी।
महिला/अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्त व्यक्ति (नि.व्य.)	संपूरित सेवा के प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 18,000/–रु.।	

च. इस खण्ड के अधीन अनुज्ञात सहायकी अनन्तिम होगी और उद्यम से 18% की दर पर ब्याज के साथ वसूल की जायेगी यदि वह पैकेज के खण्ड 1 के उप–खण्ड (ii) के अधीन यथा उपबंधित विनिधान करने और/या नियोजन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

छ. सहायकी, राज्य में उद्यम द्वारा विनिर्मित सीमेन्ट के, उसके ऐसे समनुषंगियों और/या विपणन विंग और/ या उसके व्यवहारियों को किये गये विक्रयों

पर अनुज्ञात नहीं की जायेगी जो राज्य के भीतर विक्रय से भिन्न उक्त माल का व्ययन करते हैं।

3. **अन्य फायदे.**– उपर्युक्त वर्णित फायदों के सिवाय, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित अन्य फायदे उद्यम को, यदि पात्र हो तो, उपलब्ध होंगे।

4. **अन्य छूट.**– राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 13) के अधीन उदग्रहणीय कर के संदाय से एक बारीय छूट, उद्यम को कम्पनी द्वारा प्रस्तुत और वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार संयत्र की स्थापना के लिये पूंजीगत माल पर अनुज्ञात की जायेगी। तथापि, उद्यम द्वारा निक्षिप्त कराये गये प्रवेश कर प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग, इस आदेश के जारी होने के तुरन्त पश्चात्, इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करेगा।

5. **सहायकी के दावे के लिए प्रक्रिया.**–

(i) हिताधिकारी उद्यम,–

(क) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक; या

(ख) पैकेज का आदेश जारी करने की दिनांक ;

इनमें से जो भी बाद में हो, से नब्बे दिन के भीतर चार्टर्ड एकांउटेन्ट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित, उसके द्वारा किये गये विनिधान के सबूत के साथ, रा.वि.प्रो. स्की.– 2010 के अधीन गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रा.स्त.छा.स." के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के सदस्य सचिव के समक्ष पैकेज से संलग्न प्ररूप–क में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ii) सदस्य सचिव, आवेदन की प्राप्ति से 45 दिन के भीतर, जब तक कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से इसे विनिर्दिष्ट रूप से बढ़ाया ना जाये, रा.स्त.छा.स. के समक्ष आवेदन रखेगा।

(iii) जहां आवेदन, उपर्युक्त उप–खण्ड (i) के अधीन यथा उपबंधित समय सीमा के पश्चात् फाइल किया गया है वहां रा.स्त.छा.स. आवेदन फाइल करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगी।

(iv) यदि रा.स्त.छा.स. फायदे के लिए उद्यम की हकदारी का अनुमोदन करती है तो सदस्य सचिव, पैकेज से संलग्न प्ररूप–ख में हकदारी प्रमाणपत्र जारी करेगा और रा.स्त.छा.स. द्वारा लिये गये विनिश्चय की दिनांक से सात दिन के अपश्चात्, जब तक कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से इसे विनिर्दिष्ट रूप से बढ़ाया न जाये, समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को तुरन्त प्रतियां अग्रेषित करेगा।

6. **सहायकी के संवितरण के लिए प्रक्रिया :**
रा.वि.प्रो.स्की.–2010 में यथा उपबंधित विनिधान सहायकी और नियोजन जनन सहायकी के संवितरण के लिए उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7. **छूट (छूटों) के दावे के लिए प्रक्रिया.**– कर से छूट के दावे के लिए, उद्यम रा.वि.प्रो. स्की.–2010 के अधीन यथा उपबंधित रीति में आवेदन करेगा और हकदारी प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) की मंजूरी के लिए उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

8. **निबंधन और शर्तें.**– (1) इस पैकेज के अधीन फायदे इस शर्त पर उपलब्ध होंगे कि उद्यम ने 746 करोड़ रू. का न्यूनतम विनिधान किया है और न्यूनतम तीन सौ व्यक्तियों को सीधे नियोजन उपलब्ध करवाया है।

(2) कम्पनी या तो रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन उपलब्ध सामान्य दर (शोध्य और निक्षिप्त करों की 30% विनिधान सहायकी और 20% तक नियोजन जनन सहायकी) पर सहायकी या सहायकी (शोध्य और निक्षिप्त करों की 50% विनिधान सहायकी और 5% तक नियोजन जनन सहायकी) और पैकेज के अधीन उपलब्ध प्रवेश कर से छूट के लिए विकल्प दे सकेगी। यदि पैकेज के लिए विकल्प दिया जाता है तो वह कालावधि (तिमाही/वर्ष), जिसके लिए रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सामान्य दर पर सहायकी प्राप्त की गयी है, पैकेज के अधीन सहायकी की कुल कालावधि (7 वर्ष) में से घटा दी जायेगी।

9. **शर्त का भंग.**– किसी शर्त के भंग की दशा में, सहायकी का संवितरण करने वाला अधिकारी, आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित करेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर मामले को राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को निर्दिष्ट करेगा। उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जहां उक्त समिति की यह राय है कि शर्त का भंग हुआ है वहां वह सहायकी का संवितरण करने वाले अधिकारी को पैकेज के खण्ड 2 के उप–खण्ड च के अधीन यथा उपबंधित ब्याज के साथ रकम वसूल करने के आदेश देगा।

10. **इस आदेश का पुनर्विलोकन या उपांतरण.**– राज्य सरकार, जब कभी अपेक्षित हो, इस पैकेज के पुनर्विलोकन या उपान्तरण का अधिकार सुरक्षित रखती है।

11. **राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम–2010 के उपबंधों का लागू होना.**–
(i) रा.मू.प.क. अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध लागू होंगे।
(ii) पैकेज के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12. **पैकेज के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को दूर करना.**– इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कोई शिकायत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को ही उसकी नोडल एजेन्सी के माध्यम से निर्दिष्ट की जायेगी। उक्त समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव

प्ररूप–क

सहायकी के हकदारी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती,

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय छानबीन समिति,

(रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन गठित)

1.	आवेदक उद्यम का नाम	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड
2.	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	
3.	आवेदक उद्यम का पता	
4.	ई–मेल पता	
5.	कारबार का अन्य स्थान या शाखाएं, यदि कोई हों,	
6.	नई इकाई, जिसके लिए पैकेज मंजूर किया गया है, में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की दिनांक	
7.	रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सहायकी के लिए पूर्व में जारी किये गये हकदारी प्रमाण पत्र का क्र. और दिनांक	
8.	कुल कालावधि (तिमाही/वर्ष) जिसके लिए रा. वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सामान्य दर (शोध्य और निक्षिप्त करों की 30% विनिधान सहायकी और 20% तक नियोजन जनन सहायकी) पर सहायकी प्राप्त की गयी है	
9.	कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के आदेश का क्र. और दिनांक	एफ.12(18)एफ डी/टैक्स/ 2013–176, दिनांक 12.02.2016
10.	नई इकाई में किया गया विनिधान (रू. करोड़ में)	
11.	नई इकाई में उपलब्ध करवाया गया नियोजन (व्यक्तियों की संख्या)	

मैंने पैकेज की शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूं। मैं यह भी सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त समस्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य हैं।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक उद्यम के निमित्त और उसकी ओर से आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. विनिधान का सबूत
2. परियोजना रिपोर्ट की प्रति
3. क.म.नि./क.रा.बी.के चालान की प्रतियां
4. मू.प.क./के.वि.क./एस.जी.एस.टी. यदि कोई हो, के निक्षेप का सबूत
5. मूल्यांकन के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र
6. रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सहायकी के लिए पूर्व में जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र की प्रति
7. आवेदन के तथ्यों के समर्थन में स्व–अनुप्रमाणित घोषणा
8. संकल्प की प्रति

प्ररूप–ख

सहायकी के लिए हकदारी प्रमाणपत्र

सं.

दिनांक :

1.	उद्यम का नाम	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड
2.	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)	
3.	उद्यम का पता	
4.	ई–मेल का पता	
5.	कारबार का अन्य स्थान या शाखाएं, यदि कोई हों,	
6.	नई इकाई, जिसके लिए पैकेज मंजूर किया गया है, में वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की दिनांक	
7.	रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सहायकी के लिए पूर्व में जारी किये गये हकदारी प्रमाण पत्र का क्र. और दिनांक	

8.	कुल कालावधि (तिमाही/वर्ष) जिसके लिए रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सामान्य दर (शोध्य और निक्षिप्त करों की 30% विनिधान सहायकी और 20% तक नियोजन जनन सहायकी) पर सहायकी प्राप्त की गयी है	
9.	कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी के लिए राज्य सरकार के आदेश का क्र. और दिनांक	एफ.12(18)एफ डी/टैक्स/ 2013–176, दिनांक 12.02.2016
10.	पैकेज के अधीन विनिधान सहायकी	कर (करों), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, का 50%।
11.	पैकेज के अधीन नियोजन जनन सहायकी	कर (करों), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, का 5%।

इस हकदारी प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि, उपर्युक्त क्रम सं. 7 पर वर्णित पूर्व प्रमाणपत्र के जारी किये जाने की दिनांक से सात वर्ष है। तथापि, वह कुल कालावधि (तिमाही/वर्ष) जिसके लिए रा.वि.प्रो.स्की.–2010 के अधीन सामान्य दर पर सहायकी प्राप्त की गयी है, पैकेज के अधीन सहायकी की कुल कालावधि (7 वर्ष) में से घटा दी जायेगी।

यह प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा कस्टमाइज्ड पैकेज की शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

स्थान :
दिनांक :

(मुहर सहित हस्ताक्षर)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय छानबीन समिति"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
12. मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड, मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव